राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप.2(1)शिक्षा–2/2019 जयपुर, दिनांक 20-06-2019

:: स्थाई आदेश ::

स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक– स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(उप निदेशक एवं समकक्ष), जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा /प्रारंभिक शिक्षा/एडीपीसी/प्रधानाचार्य डाईट/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (जि0शि0अ0 एवं समकक्ष) स्तर के रिक्त पदों का स्वतः कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु पूर्व में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

क्र0 सं0	पद नाम	सक्षम अधिकारी जिसे पद रिक्त होने पर स्वतः कार्यभार ग्रहण करना है
01	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (मण्डल मुख्यालय पर)	विभाग में मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा का पद रिक्त होने की स्थिति में संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(मूल पद उप निदेशक एवं समकक्ष) अथवा उस पद का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेगें।
02	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (जिला मुख्यालय पर)	विभाग में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(मूल पद उप निदेशक एवं समकक्ष) का पद रिक्त होने की स्थिति में उक्त जिलें में कार्यरत क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, एडीपीसी एवं प्रधानाचार्य, डाईट में से वरिष्ठतम अधिकारी स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेगें।
03	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एवं एडीपीसी	1– विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेगें। 2– जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेगें। 3– एडीपीसी का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः जि0शि0अ0(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें। 4– प्रधानाचार्य, डाईट का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेगें।

क्रमश........02 पर

Scanned by CamScanner

04	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त होने पर ब्लॉक कार्यालय में **"ACBEO-I, II"** के पद भरे होने की स्थिति में, क्रमशः **"ACBEO-I" / "ACBEO-II"** तथा दोनों ही पद रिक्त होने की स्थिति में ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यरत **वरिष्ठतम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी(PEEO)** स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें।

नोटः— उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त यदि रिक्त पद के चार्ज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है तो राज्य सरकार का आदेश प्रभावी होगा।

आदेश से,

20/6/19

(डॉ0 राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, मुख्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
12. रक्षित पत्रावली

20-6-19

(रामेश्वर लाल जाट)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner